

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

2233

-:विविध-आदेश:-

(कार्य-विभाजन में संशोधन क0-12)

क्रमांक.....47...../
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 21/03/2024

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-10 की उपधारा-2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-216/दो-1-1/2000 दिनांक 17 मई 2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा:-

1. सरल क्रमांक-13 श्री दिलीप सिंह, ग्यारहवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के सिविल खण्ड के स्तम्भ क्रमांक-4 की कंडिका क्रमांक-5 के पश्चात् कंडिका क्रमांक-6 निर्मित करते हुए "व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मनगवां के न्यायालय के निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें" को जोड़ा जाता है।

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

Sd/-
(सुबोध कुमार जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क0.....1549.....
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 21/03/2024

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा/मनगवां।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मनगवां।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल एड्रेस में भेजने हेतु।
5. फाईलिंग कारुंटर रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)